भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4138
दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान

4138. श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों के अंतर्गत आबंटित निधि के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और ग्रामीण विकास आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार निधियों के संवितरण को किस प्रकार न्यायोचित ठहराती है;

(ग) क्या भविष्य में निधि के उपयोग संबंधी दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए नीतिगत समायोजन का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों की स्थिति का जिलावार व्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशेष की जरूरतों के लिए वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

पंचायतों का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान सहित पंचायत निधियों के उपयोग का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के राज्यवार वितरण और उपयोग की निगरानी के लिए कई उपायों को लागू किया है। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदानों को समय पर जारी करने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ नियमित बैठकें और वार्तालाप करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने 2020 में ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन पंचायत को कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। राज्य, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना मॉड्यूल राज्यों को यह ट्रैक करने की अनुमति देता है कि पंचायती राज संस्थाएं किस प्रकार पहचानी गई आवश्यकताओं को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करती हैं, तथा बजट आवंटन के साथ संरेखण सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद, प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल अनटाइड अनुदान द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि लेखांकन मॉड्यूल वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इन कार्यात्मकताओं का उपयोग करके, राज्य इस बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदानों का उपयोग कैसे किया जा रहा है, जिससे अधिक प्रभावी और

पारदर्शी संसाधन आवंटन को बढ़ावा मिलता है।

मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है ताकि विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक एप्लीकेशन'ऑडिटऑनलाइन'विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया ऑडिटऑनलाइन, केंद्रीय वित्त आयोग के फंड के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा देता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है।

(ख) पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2020-21 [अंतरिम अवधि] के लिए 60,750 करोड़ रुपये एवं 2021-2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये, आवंटन की सिफारिश की है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक पर होता है।

सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप है;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतों वाली दो स्तरीय प्रणाली है, वहाँ आवंटन निम्नलिखित श्रेणी में है ;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, विभिन्न-स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण को ऊपर बताए गए बैंड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए।राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज-जीईएम इंटरफेस के माध्यम से पंचायतों में खरीद में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। इस इंटरफेस ने सभी पंचायतों को जीईएम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करने और ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से निर्बाध तरीके से योजना/भुगतान करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को और मजबूत करते हुए, मंत्रालय ने ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल को शामिल करके ऑनलाइन ऑडिट प्रक्रिया में संरचित परिणति पेश करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की सिफारिश/जारी की जा रही है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX

लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर राज्य को जारी किया जाएगा।

2. विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानिय निकायों द्वारा योजनाओं को ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड करना, जैसा भी मामला हो, ऐसा न करने पर अनुदान केवल उन्हीं ग्रामीण स्थानिय निकायों को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिन्होंने ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन पर योजनाएं अपलोड की हैं।

3. ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्राम स्वराज – पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड होना होगा।

4. सभी आरएलबी को ऑडिटऑनलाइन पर पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के वार्षिक खातों का ऑडिट पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर अनुदान केवल उन्हीं आरएलबी को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिन्होंने ऑडिटऑनलाइन एप्लीकेशन पर ऑडिट पूरा कर लिया है।

5. इसी तरह, सभी आरएलबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले वर्ष के अनंतिम खाते ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध हों, ऐसा न करने पर अनुदान केवल उन्हीं आरएलबी को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिनके वार्षिक खाते ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं।

6. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने राज्य वित्त आयोग और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

7. समय पर धन वितरण: केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकार को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान जारी करना आवश्यक है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदानों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध**में दिया गया है।

***

अनुबंध

दिनांक25.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4138** के भाग **(घ)** के उत्तर में संदर्भित **अनुबंध**

राजस्थान राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदानों का जिलावार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अजमेर	106.71	78.87	82.06	77.59	59.39
2	अलवर	169.66	125.41	130.47	123.36	86.21
3	बांसवाड़ा	139.19	102.88	107.03	101.20	65.22
4	बरन	84.81	62.69	65.22	61.66	39.43
5	बाड़मेर	188.58	139.39	145.02	137.12	104.09
6	भरतपुर	118.22	87.38	90.91	85.95	53.88
7	भीलवाड़ा	136.64	101.00	105.07	99.35	68.86
8	बीकानेर	151.16	111.73	116.24	109.91	83.48
9	बूंदी	83.54	61.75	64.24	60.74	44.93
10	चित्तौड़गढ़	97.25	71.88	74.78	70.71	48.92
11	चुरू	108.33	80.07	83.30	78.77	60.05
12	दौसा	103.46	76.48	79.56	75.23	44.43
13	धौलपुर	75.15	55.55	57.79	54.64	29.43
14	डूंगरपुर	110.96	82.01	85.32	80.68	50.35
15	गंगानगर	120.80	89.29	92.90	87.84	56.43
16	हनुमानगढ़	102.61	75.85	78.91	74.61	51.75
17	जयपुर	183.79	135.85	141.33	133.64	103.90
18	जैसलमेर	122.85	90.81	94.47	89.32	70.85
19	जालौर	117.13	86.58	90.08	85.17	58.89
20	झालावाड़	91.10	67.34	70.06	66.24	41.78
21	झुंझुनू	99.14	73.28	76.24	72.08	45.80
22	जोधपुर	170.08	125.72	130.79	123.67	96.10
23	करौली	101.34	74.91	77.93	73.68	43.15
24	कोटा	66.93	49.47	51.47	48.66	31.40
25	नागौर	172.25	127.32	132.46	125.24	89.15
26	पाली	123.20	91.06	94.74	89.58	63.92
27	प्रतापगढ़	80.91	59.81	62.22	58.83	33.65
28	राजसमंद	74.19	54.84	57.05	53.94	35.60
29	सवाई माधोपुर	87.59	64.74	67.36	63.69	36.10
30	सीकर	117.60	86.92	90.43	85.51	58.74
31	सिरोही	78.17	57.78	60.11	56.84	35.50
32	टोंक	91.10	67.34	70.06	66.24	47.89
33	उदयपुर	187.58	138.65	144.25	136.39	96.62
	कुल	**3862.00**	**2854.68**	**2969.84**	**2808.05**	**1935.89**

***